न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०-06, मथुरा।

फौजदारी प्रकीर्ण वाद सं०-685/2025

सम्पत्ति प्रबन्धक आवास आयुक्त बनाम उ०प्र० राज्य आदि

UPMT010087562025

<u>दिनांक-19.12.2025</u> <u>निस्तारण प्रार्थनापत्र 6 ख अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम</u>

प्रार्थना पत्र 6 ख प्रार्थी/रिवीजनकर्ता की ओर से इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि निगरानीकर्ता के पूर्व अधिवक्ता द्वारा निगरानीकर्ता को कोई सूचना उक्त आदेश के सम्बन्ध में नहीं दी गयी थी, जिस कारण निगरानीकर्ता को प्रश्नगत आदेश के सम्बन्ध में कोई जानकारी समय से नहीं मिल सकी। जब निगरानीकर्ता द्वारा अपने पैरोकार के माध्यम से जानकारी कराई तो उक्त आदेश के बारे में जानकारी मिली, जिसके सम्बन्ध में निगरानीकर्ता द्वारा परिषद के विधि परामर्शदाता द्वारा राय प्राप्त होने पर तत्काल दिनांक 21.08.2025 को अपने वर्तमान अधिवक्ता को निगरानी दाखिल करने हेतु पत्र जारी किया जो अधिवक्ता को दिनांक 22.08.2025 को मिला। दिनांक 23.08.2025 को चतुर्थ शनिवार एवं 24.08.2025 को रविवार का अवकाश होने के कारण अधिवक्ता कोई कार्यवाही नही कर सके थे। दिनांक 25.08.2025 को न्यायालय खुलने पर पत्रावली के परिशीलन हेतु अधिवक्ता द्वारा सवाल मुआयना लगाकर पत्रावली का परिशीलन किया एवं अगले ही दिन दिनांक 26.08.2025 को तत्काल आदेश की प्रमाणित प्रति जारी कराई एवं दिनांक 27.08.2025 को अविलम्ब यह निगरानी दाखिल की गयी। निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी दाखिल करने में जानबूझकर देरी नहीं की गयी है बल्कि पूर्व अधिवक्ता द्वारा सूचना न दिये जाने के कारण परिस्थितिवश है न्यायहित में धारा 5 म्याद अधिनियम का लाभप्रदान किया जाकर निगरानी प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाकर निगरानी अंगीकृत किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम को स्वीकार करते हुये विलम्ब को क्षमा करने की याचना की गयी है। प्रार्थनापत्र समर्थित शपथपत्र का०सं० 7 ख है।

प्रार्थनापत्र पर राज्य की ओर से विपक्षी/विद्वान ए०डी०जी०सी० क्रिमिनल द्वारा मौखिक आपत्ति करते हुए, प्रार्थनापत्र को निरस्त किये की याचना की गयी है।

सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि सम्बन्धित विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश दिनांक-18.02.2025 को पारित किया गया। निगरानीकर्ता के पूर्व अधिवक्ता द्वारा कोई सूचना न दिये जाने के कारण उक्त आदेश की जानकारी नहीं हो सकी तथा निगरानीकर्ता द्वारा अपने पैरोकार के माध्यम से जानकारी प्राप्त होने पर तत्काल नवीन अधिवक्ता नियुक्त कर दिनांक 25.08.2025 को सवाल मुआयना लगाकर दिनांक 26.08.2025 को तत्काल आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त की गयी और दिनांक 27.08.2025 को अविलम्ब निगरानी को बिना किसी देरी के दाखिल किये जाने का अभिकथन किया है। इस प्रकार प्रार्थी/रिवीजनकर्ता के द्वारा निगरानी दायर करने में हुए विलम्ब का शपथ पर दिया गया कारण संतोषजनक है। मुंसरिम आख्यानुसार आपराधिक रिवीजन 100 दिन की देरी से प्रस्तुत की गयी है, जिस पर विपक्षी की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गयी है। संस्थित प्रार्थनापत्र के साथ संबंधित आदेश की प्रमाणित प्रति 5 ख/3 ता 4 दाखिल की गयी है तथा प्रार्थनापत्र के साथ शपथपत्र संलग्न किया गया है।

ईसा भटटाचार्य जी बनाम मैनेजिंग कमेटी आफ रघुनाथपुर एकेडमी व अन्य (2013) 12 SCC 649 से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विलम्ब को क्षमा किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत मार्गदर्शन उपलब्ध कराया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि ऐसे मामलों में उदारता का प्रयोग करना चाहिए और 'पर्याप्त कारण' पद को परिस्थितियों के सामान्य अनुक्रम में ही समझना चाहिए और विलम्ब जानबूझकर किया गया है, ऐसी कोई उपधारणा नहीं बनानी चाहिए। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त मार्गदर्शन के प्रकाश में इस मामले के तथ्यों को देखे जाने पर विलम्ब को क्षमा किया जाना विधि अपेक्षित प्रतीत हो रहा है, अतः विलम्ब

Digitally signed by Neelam Dhaka
Date: 2025.12.20 10:43:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

क्षमा करने हेतु दिया गया प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थनपत्र 6 ख अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम मुव. 200/–रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। हर्जा अदायगी किये जाने के पश्चात फौजदारी रिवीजन दाखिल करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाए। पत्रावली फौजदारी निगरानी के अंगीकरण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु माननीय सत्र न्यायाधीश, मथुरा को भेजी जाये। पक्षकार दिनांक–09.01.2026 को माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों।

(श्रीमती नीलम ढाका)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–06, मथुरा।
Id No. UP 2653